विजय बनाम कैलाश चन्द्र वगैरह
मुकदमा नम्बर 047/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थी :–

विजय पुत्र रामेश्वर लाल जाति नाई उम्र 50 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. कैलाश चन्द पुत्र गिरधारी जाति नाई उम्र 45 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
2. गोपालराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट उम्र 51 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
3. गोपालराम पुत्र नानगराम जाति नाई उम्र 70 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
4. गोपाललाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति नाई उम्र 52 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
5. छोटुलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 38 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
6. पुखराज पुत्र गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 40 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
7. प्रकाशचन्द पुत्र गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 42 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
8. प्रभूराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
9. बाबुलाल पुत्र गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 56 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
10. भंवरीदेवी पुत्री गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 60 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
11. मन्जुदेवी पुत्री गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 57 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
12. रूघनाथप्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल जजाति नाई उम्र 63 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
13. रतनलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति नाई उम्र 60 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
14. राजुराम पुत्र भंवरलाल जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
15. श्यामसुन्दर पुत्र गिरधारीलाल जाति नाई उम्र 58 वर्ष निवासी मीठडी तहसील नावां।
16. सुखाराम पुत्र नानगराम जाति नाई उम्र 65 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
17. सुखाराम पुत्र प्रभूराम जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी मीठड़ी तहसील नावां।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– शुद्धिकरण करने बाबत
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमा नम्बर :– 047/2023   निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील ना[illegible] भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 3.0[illegible] है[illegible]र, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.7100 हैक्टर [illegible] रकबा 6.3900 हैक्टर भूमि में 3/80 हिस्सा खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का नाम गलती से ब्रजमोहन पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रामेश्वरलाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं सही नाम विजय पुत्र रामेश्वर लाल है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज सरकारी रिकार्ड राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, विद्युत बिल, अन्य खातेदारी जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विजय पुत्र रामेश्वर लाल ही है। प्रार्थी का नाम विजय पुत्र रामेश्वर लाल वास्तविक एवं सही नाम है। खसरा नम्बर 1316, 1319, 1320, 1321 ग्राम मीठडी की भूमि में प्रार्थी का नाम ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल गलती से दर्ज हो गया है, जो सद्भावी लिपीकिय गलती है, जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हितों के लिए आवश्यक है। मौजा ग्राम मीठडी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.7100 हैक्टर कुल रकबा 6.3900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वर लाल कर शुद्धीकरण करने का आदेश तहसीलदार नावां को देने का निवेदन किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 अनावश्यक पक्षकार है तथा उनके विरूद्ध अब किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाहते है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 का नाम हटाया जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 का पक्षकार अप्रार्थीगण से हटाया गया। अप्रार्थी संख्या 18 तहसीलदार नावां ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मीठड़ी के आराजी खसरा नम्बर 1316, 1319, 1320, 1321 में ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल नाम का व्यक्ति का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मौके पर ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वरलाल द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। रघुनाथ प्रसाद, रतनलाल, गोपाल, विजय पुत्रगण रामेश्वरलाल के शपथ पत्र में अपने भाई का नाम ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वरलाल बताया गया हैं एवं अपने भाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं जताया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र एवं प्रार्थी के भाई रघुनाथ प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल, रतनलाल पुत्र रामेश्वरलाल, गोपाल पुत्र रामेश्वरलाल के शपथ पत्र पेश किये तथा राशन कार्ड की प्रति पेश की एवं ग्राम पंचायत मीठड़ी का प्रमाण पत्र पेश किया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.7100 हैक्टर कुल रकबा 6.3900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल दर्ज है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात में विजय पुत्र रामेश्वरलाल नाम दर्ज है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रार्थी के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, ग्राम पंचायत मीठड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.7100 हैक्टर कुल रकबा 6.3900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वरलाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

विजय बनाम कैलाश चन्द्र वगैरह
मुकदमा नम्बर 047/2023

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मीठड़ी पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में कृषि आराजी भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 1.8600 हैक्टर, खसरा नम्बर 1319 रकबा 3.0500 हैक्टर, खसरा नम्बर 1320 रकबा 0.7700 हैक्टर, खसरा संख्या 1321 रकबा 0.7100 हैक्टर कुल रकबा 6.3900 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का नाम ब्रजमोहन पुत्र रामेश्वरलाल के स्थान पर विजय पुत्र रामेश्वरलाल दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:44 IST
Reason: SelfAttested